

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उग्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 67/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम  
डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र श्री घेरुराम जाति जाट निवासी गांव डूंगरसिंहपुरा तह.  
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती रेणू पुत्री श्री कृष्णलाल पत्नी श्री सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी चक  
12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमती सुमन पुत्री श्री कृष्णलाल पत्नी श्री जयनारायण जाति जाट निवासी  
चक 11-12 एस.एल. डब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित- अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)  
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी-1 से 3)  
पैरोकार राज (प्रति.-7)

दिनांक 04.08.2020

--:: निर्णय ::--

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल, वादी के पिताजी पतिवादी संख्या 2 व 3 वादी की बहनें हैं। चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के खाता संख्या 23/15 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 2, (प्रत्येक में 0.228 है.), 9 ता 12, 19 ता 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.733 है। नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र घेरुराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 20 एलएनपी के संयुक्त खाता संख्या 135/74 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 3.415 है। नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र घेरुराम के नाम 1379/3415 हिस्सा यानि 1.379 है। नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी घेरुराम पुत्र जीवनराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्त में प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 20 एलएनपी के खाता संख्या 23/15, 135/74 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं विरास्तन नामान्तरण/जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र (राकेश कुमार (वादी)) है तथा दो पुत्रीयां रेणू (प्रतिवादी संख्या 2) एवं सुमन (प्रतिवादी संख्या 3) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं



है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :-

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी ग्राम डुंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर	चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के खाता संख्या 23/15 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 2, (प्रत्येक में 0.228 है.), 9 ता 12, 19 ता 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.733 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक
कृष्णलाल पत्र श्री घेरुराम जाति जाट निवासी गांव डुंगरसिंहपुरा तह. श्रीगंगानगर	चक 20 एलएनपी के संयुक्त खाता संख्या 135/74 के मरब्बा नम्बर 45 की कुल 3.415 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पत्र घेरुराम के नाम 1379/3415 हिस्सा यानि 1.379 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15/03/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही वादी को वाद हेतुक प्राप्त है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने निवेदन किया :-

- प्रतिवादी सं. 1 कृष्णलाल पुत्र घेरुराम के नाम दर्ज चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के खाता संख्या 23/15 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 2, (प्रत्येक में 0.228 है.), 9 ता 12, 19 ता 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.733 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को वादी की घोषित की जावे।
- उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग-अलग लगान कायम किया जावे।
- वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(राजस्व)  
भार

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में  
दिलवाया जावे ।



वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को  
जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक  
29.07.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके  
मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतविरान लोगो ने  
राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर  
अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा  
है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी सं. 1 कृष्णलाल पुत्र घेरुराम के नाम दर्ज चक 20  
एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी  
सम्बत् 2070-2073 के खाता संख्या 23/15 के मुख्वा नम्बर 42 के किला नम्बर  
1, 2, (प्रत्येक में 0.228 है.), 9 ता 12, 19 ता 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.733  
है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति  
जाट निवासी ग्राम डुंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)  
को बंटवारा में दी हुई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 20 एलएनपी पटवार हल्का  
17 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के  
खाता संख्या 23/15 के मुख्वा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 2, (प्रत्येक में 0.228  
हैक्टर), 9 ता 12, 19 ता 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.733 है. नहरी कृषि भूमि  
जमाबन्दी मुताबिक को वादी राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी  
ग्राम डुंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित  
की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन  
किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1  
समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी  
संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्बत् 2070-2073 ग्राम  
20 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या  
23/15, जमाबंदी सम्बत् 2070-2073 ग्राम 20 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी  
भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 135/74 संयुक्त खाता में पेश की। वादी द्वारा  
अपने दादा घेरुराम के नाम जमाबंदी ग्राम 20 एलएनपी खाता संख्या 49/14  
विरास्तन इन्तकाल, जमाबंदी ग्राम 20 एलएनपी खाता संख्या 70/12 विरास्तन  
इन्तकाल की फोटो प्रतियां पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि  
पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा  
हो चुका है।

“राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के  
नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के  
प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा  
सकता है।”

अतः


अतः पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा के आधार पर वादी  
को चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की  
जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के खाता संख्या 23/15 के मुख्वा नम्बर 42 के किला  
नम्बर 1, 2, (प्रत्येक में 0.228 हैक्टर), 9 ता 12, 19 ता 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल  
2.733 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकें

अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत  
जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि  
नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण  
की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड  
अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किरम  
(यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई  
बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा  
से आज दिनांक 04.08.2020 को जारी किया गया।

  
(उम्मेद सिंह)  
उपखण्ड अभिधिकारी (राजस्व)  
पदेन श्रीहायकाकलप्टर,  
श्रीगंगानगर

